

# अवसर : हाईकोर्ट में 397 पदों पर होगी नियुक्ति

पटना | बिधि संकरदाता

मंजूरी

राज्य कैबिनेट ने पहली बार पटना हाईकोर्ट में पदों का सृजन करने की मंजूरी दी है। रत मंगलवार को चीफ्जुस्टिस कोन्फेरेंस से हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न कोर्ट के हजारों पदों का सृजन तथा उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी है। पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर पदों की स्वीकृति दी गई है। यत दो माह पूर्व भी राज्य सरकार ने विभिन्न कोर्ट में करीब 397 पदों का सृजन करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद एक बार फिर से कैबिनेट ने पटना हाईकोर्ट की ओर से पदों का माग पर विचार कर अपनी सहमति प्रदान की है। पूर्व के महानिबंधक तथा मौजूद मुख्य न्यायाधीश के प्रवास के बाद राज्य कैबिनेट ने पटना हाईकोर्ट की स्थापना

- दो माह पूर्व भी राज्य सरकार ने विभिन्न कोर्ट में करीब 397 पदों का सृजन करने की मंजूरी दी थी
- 61 बिधि सहायकों के पदों की भी स्वीकृति दी, मानदेय व सविदा पर होगी बहाली

में पुस्तकालय, अध्ययन सभाग के विभिन्न कोर्ट में 26, स्टाफ कर चलक सभाग में 7, निजी स्थायक व आभुलितिक के 145, वर्ग कर के 720 पदों का सृजन की स्वीकृति दी है। वहीं, आभुलितिक के 64 पदों को उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने 61 बिधि महानकों के पदों की भी स्वीकृति दी है। इन पदों के मानदेय और सविदा के आधार पर बहाली की जाएगी।